न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–246/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00114)

01. नाथू पुत्र गोविन्दराम, जाति मीना, निवासी ग्राम बगडी, तहसील चौमू जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 6

बनाम

01. छाजूराम पिता खेमाराम,
02. मुरलीधर,
03. बलवीर, समस्त जातियान जाट, निवासीयान ग्राम बगड़ी, तहसील चौंमू जिला जयपुर।

——प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3/प्रार्थीगण

04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू तहसील चोमू, जिला जयपुर।
05. अर्जुन पुत्र ठन्डूराम,
06. शंकर पुत्र भूरा,
07. भागचन्द पुत्र भूरा,
08. मुकेश पुत्र गोविन्दराम

——प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 8/अप्रार्थी संख्या 1 ता 5

09. बरजी पत्नी गोविन्दराम,
10. ग्यारसी पुत्री स्व. बिलाशा,
11. सांवरमल पिता स्व बिलाशा,
12. गोरधन पिता स्व. बिंलाशा,
13. नन्दलाल पिता स्व. बिलाशा,
14. सांवताराम पिता स्व. बिलाशा,
15. बीरबल पिता स्व. नारायण,
16. सुरज्ञान चन्द पिता स्व. नारायण,
17. बन्नाराम पिता स्व. नारायण, समस्त जातियान मीना, निवासीयान ग्राम बगड़ी, तहसील चौमू जिला जयपुर, राजस्थान।
18. हरिपाल पुत्र जीवणराम मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम मउ, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान।

——प्रत्यर्थी संख्या 9 ता 18/अप्रार्थी संख्या 7 ता 16

निर्णय

दिनांकः 23.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चौमू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 02.06.2018 (प्रकरण संख्या 121/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें कुल 16 अप्रार्थीगणों का संयोजित किया गया था, प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर उपरोक्त अप्रार्थीगण की तलबी के लिये दिनांक 20.12.2017 की तारीख पेशी मुकर्रर की गई थी एवं उपरोक्त पेशी पर अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, व 16 की ही तामिल हुई थी एवं इनकी ओर से ही अधिवक्तागण उपस्थित आये थे तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.01.2018 शेष अप्रार्थीगण की तलबी के लिऐ मुकर्रर की गई थी, जिनकी तलबी नही हुई थी व इसी दरमियान उपरोक्त प्रार्थना पत्र को कैम्प कोर्ट मुख्यालय चौमू में ''न्याय आपके द्वार'' के तहत अपीलाधीन निर्णय के द्वारा निस्तारित कर दिया गया एवं उपरोक्त प्रकार से निस्तारण करने से पूर्व ना तो अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 व 16 को जवाब पेश करने का अवसर उपलब्ध कराया गया एवं ना ही अप्रार्थी संख्या 1, 5, 8, 11, 13, 14, 15 की तलबी की गई एवं ना ही प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण की साक्ष्य लेखबद्ध की गई इसलिये अपीलाधीन निर्णय मनमाना होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ''न्याय आपके द्वार'' के तहत कैम्प कोर्ट में केवल वे ही मामले निस्तारित किये जा सकते थे जिनमें पक्षकारान के मध्य स्वेच्छा से या समझाईश से समझौता हो गया हो, परन्तु हस्तगत मामले में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई समझौता नही हुआ था इसके बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बिना किसी साक्ष्य के गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा निस्तारित कर स्वीकार कर लिया गया जो उक्त आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय का आधार तहसीलदार चौमू के आदेश की अनुपालना में दिनांक 26.10.2017 को हल्का पटवारी द्वारा कसीद किये गये सीमाज्ञान को बनाया गया है एवं यह भी विवेचित किया है कि रिकार्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का हक व अधिकार है, अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन विधि सम्मत नही है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत खातेदार को पत्थरगढी का आदेश प्राप्त करने के लिए स्वयं को खातेदार होना साबित किये जाने के साथ–साथ यह भी साबित करना आवश्यक है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है, परन्तु अभिलेख पर कोई साक्ष्य नही है कि प्रार्थीगण ने जिस भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने का निवेदन किया था उस पर वे काबिज काश्त है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सम्बन्ध में तहसीलदार से कोई रिपोर्ट प्राप्त की थी, इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अन्य के अतिरिक्त भूमि खसरा नम्बर 216/688 रकबा 0.15 हैक्टयर वाके ग्राम बगड़ी, तहसील चौमूं जिला जयपुर पर भी अपना कब्जा काश्त होना अंकित किया है जबकि उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी के पूर्वज व उनके [illegible] अपीलार्थी का परिवार काबिज काश्त चला आ रहा

प्रार्थीगण व उनके पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वजों का कोई कब्जा काश्त नही है, उपरोक्त भूमि का कब्जा व गांव को छुड़ाने के लिऐ अपीलार्थी व अपीलार्थी की पत्नी के साथ किये गये अपराध के सम्बन्ध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2018 पुलिस थाना गोविन्दगढ, जयपुर ग्रामीण के समक्ष दिनांक 06.03.2018 को दर्ज हुई थी जिसके अनुसंधान में यह पाया गया कि दिनांक 01.03.2018 को रात लगभग 9:30 बजें अभियुक्तगण ने आईपीसी की धारा 341, 323/34 के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत भी अपराध किया है, उपरोक्त अभियुक्तगण में प्रार्थी संख्या 2 व 3 क्रमशः मुरलीधर व बलवीर भी शामिल है जिनके विरूद्ध दिनांक 11.05.2018 को विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) जयपुर के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं उपरोक्त दाण्डिक मामला उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 7255/2018 बउनवानी राजस्थान राज्य बनाम मुरलीधर वगैरहा के रूप में दर्ज किया जा चुका है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त मामले के अनुसंधान के दौरान दिनांक 07.03.2018 को बनाये गये नक्शे मौके में भूमि खसरा नम्बर 216/688 पर अपीलार्थी व अपीलार्थी के परिवार का कब्जा होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06. 2018 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम बगडी पटवार हल्का नांगलगोविन्द तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थिति भूमि खाता संख्या 18 जिसके आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 1.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 172/669 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 216/688 रकबा 0.15 हैक्टयर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.30 हैक्टयर भूमि के सम्पूर्ण भाग की खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपनी खातेदारी भूमि के चारों ओर अर्से दाराज से कच्ची सींव डोल बनाकर बतौर खातेदार काबिज होकर उर्से दराज से हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की विवादग्रस्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में बोई गई फसलों को आवारा गाये, जानवर पशु आये दिन नुकसान कारित करते रहते है साथ ही अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 18 जो कि विवादग्रस्त भूमि के पश्चिमी तरफ के खातेदार जो आये दिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की भूमि पर कब्जा करने की गरज से निमार्ण कार्य करते रहते है तथा फसलों में घुसकर नुकसान पहुॅचाने की गरज से तारबन्दी को तोड़कर जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा रहते है, इसी आशय से दिनांक 02.10.2017 को उक्त अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 18 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1

करने की गरज से पत्थर आदि डाल दिये तथा नाजायज रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जिसके संदर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने पुलिस थाना गोविन्दगढ के यहॉ रिपोर्ट भी दी गई थी साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 अपनी खातेदारी भूमि को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 18 के कुत्सचित्त उद्देश्य की पूर्ति न हो इस हेतु विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतू तहसीलदार चौमू को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर तहसीलदार चौमू के आदेश क्रमांक भू.अ./2017/4030 दिनांक 11.10.2017 को जारी किये गये, इस क्रम में पटवारी हल्का नांगलगोविन्द द्वारा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 11.10.2017 की पालना में दिनांक 26.10.2017 को मौके पर जाकर खसरा नम्बर 164 में स्थित गै.मु. चाह से मुस्तकील से खसरा नम्बर 292 के कोने से जरीब चलाकर जॉच की गई तथा सही पाकर सीमाज्ञान किया गया तथा फर्द मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार की गइ तथा मौका रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् गवाहान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाओं को फर्द मौके के साथ मौका रिपोर्ट में दर्शित किया, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार चौमू को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु बार–बार निवेदन के पश्चात् भी जब तहसीलदार द्वारा पत्थरगढी नही की गई जिसका फायदा उठाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 18 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि में जबरन पत्थर आदि डालकर नाजायज रूप से कब्जा करने का प्रयास करने लगे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 नें कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थगरढी करवाने हेतु तहसीलदार चौमू के कार्यालय में कई बार प्रार्थना पत्र दिये परन्तु तहसीलदार चौमू द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नही की गई एंव दिनांक 03.11.2017 को तहसीलदार चौमू ने पत्थगरढी करने से साफ इन्कार करते हुये कहॉ कि न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी के आदेश करवाओं उसके बाद ही पत्थरगढी होगी जिस कारण प्रार्थना पत्र पत्थरगढी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी होने पर पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई करके ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 166, 172/669, एवं 216/688 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक और अधिकार प्राप्त है तथा पत्रावली के अवलोकन

अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 26.10.2017 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवही के आदेश जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2018 के यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2019को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।